



## प्रपत्र - 1

मुल्य 1 रूपया

( देखिये उप नियम 5 ( 1 ) )

सेवा में,  
अनुज्ञा प्राधिकारी,  
जोधपुर नगर निगम

महोदय,

1822

मैं/हम नगर निगम की सीमा में एक होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी मिठाई, पान व अन्य खाद्य पदार्थ या खाद्य पेय उत्पादन या बिक्री की दुकान खोलना चाहता हूँ/चाहते हैं और खोमचे, ठेले, बाईसाईकिल से फेरी लगाकर मिठाई, नमकीन, चाट, दूध, दही, मावा, ठण्डा, खाद्य पेय पदार्थ आदि रखकर धन्धा करना चाहत हूँ/चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण इस प्रकार है:

1. अनुज्ञार्थी के व्यवसाय का नाम व पूरा पता.....

(क) नाम.....

पिता.....

(ख) व्यवसाय स्थान का पता : मोहल्ला.....

वार्ड संख्या..... गृह संख्या.....

2. होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/विश्रान्ति गृह/गृह का वर्ग.....

3. अन्य आवश्यक विवरण.....

स्थान का मानचित्र दो प्रतियों से संलग्न है। स्थान पर अपेक्षित व्यवस्थाओं तथा जलोत्सारणा व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है या किया जाना है, मानचित्र में अंकित कर दिया है।

अतः निवेदन है कि अनुज्ञा-पत्र जारी किया जावे। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि जोधपुर नगर निगम, जोधपुर होटल रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानों के नियन्त्रण व नियमन विषयक (उप नियम 1991) में प्रावधिक प्रावधानों से आबद रहूँगा/रहेंगे तथा पूर्ण रूपेण पालना करूँगा/करेंगे।

अनुज्ञा-पत्र शुल्क माँगे जाने पर तत्काल नगर निगम कोष में जमा करा दूँगा/देंगे।

अनुज्ञाधारी के हस्ताक्षर.....

निवास का पता.....

दिनांक..... मोहल्ला.....

वार्ड संख्या..... गृह संख्या.....

नगर.....

कार्यालय में आवेदन प्रस्तुतकर्ता

नाम.....

उम्र.....

पता.....

पद.....